

प्रेस विज्ञप्ति
17.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप क्षेत्रीय कार्यालय ने रईस अहमद भट और अन्य के मामले में 13.02.2025 को जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) की अनधिकृत बिक्री एवं विचलन के खेल में लिप्त विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं और अपराध की आय के रूप में संबंधित अवैध मौद्रिक लाभ के संबंध में है।

ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जम्मू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें रईस अहमद भट को सीबीसीएस की तस्करी में शामिल पाया गया, जिसका नशे के आदी लोगों द्वारा नशे के रूप में व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है। निर्माता मेसर्स विदित हेल्थकेयर, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश (प्रबंध साझेदार, नीरज भाटिया निवासी पानीपत, हरियाणा) से "कोकरेक्स" नामक सीबीसीएस ब्रांड की खरीद, अनधिकृत रूप से डायवर्ट और शेल संस्थाओं के माध्यम से बिक्री पाई गई, जैसे मेसर्स एसएस इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद (मालिक सुमेश सरीन निवासी फरीदाबाद), और एन.के. फार्मास्यूटिकल्स, कंसल फार्मास्यूटिकल्स, कंसल इंडस्ट्रीज और अन्य, जिनका नियंत्रण निकेत कंसल और उनके परिवार के सदस्यों, निवासी दिल्ली और उनके साथी गर्व भांभारी निवासी फरीदाबाद द्वारा किया जाता है।

ईडी की जांच से पता चला है कि 2018-24 के दौरान मेसर्स कंसल इंडस्ट्रीज, मेसर्स कंसल फार्मास्यूटिकल्स, मेसर्स एन के फार्मास्यूटिकल्स, मेसर्स नोवेटा फार्मा और मेसर्स एसएस इंडस्ट्री मेसर्स विदित हेल्थकेयर से सीबीसीएस खरीद रहे थे और इसका अनधिकृत वितरण कर रहे थे। ऐसी कई संस्थाओं के लाइसेंस भी औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिए गए थे। 2019-25 के दौरान एनके फार्मास्यूटिकल्स और अन्य ऐसी संस्थाओं द्वारा मेसर्स विदित हेल्थकेयर को 20 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर सीबीसीएस की लगभग 55 लाख बोतलें खरीदी गईं। संदेह है कि इसे खुले बाजार में डायवर्ट किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में अपराध की आय हुई, जिसका बड़ा हिस्सा नकद जमा और अन्य संबंधित बैंक लेनदेन के रूप में ऐसी संस्थाओं में आया।

तलाशी के परिणामस्वरूप 40.62 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, 1.61 करोड़ रुपये के आभूषण और विभिन्न दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। तलाशी अभियान के दौरान, 02 आरोपी व्यक्तियों, अर्थात गर्व भांभरी और ममता कंसल (निकेत कंसल की मां), जो एनसीबी मामले में फरार हैं, का भी पता लगाया गया और उचित कार्यवाही के लिए जानकारी एनसीबी के साथ साझा की गई।

आगे की जांच जारी है।





विदित हेल्थकेयर फैक्ट्री, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश